

Atrocities on Harijans in Punjab

1814. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether cases of atrocities against Harijans have been reported from some parts of Punjab since the State was brought under President's Rule;

(b) if so, the number of cases with the details thereof; and

(c) the action taken in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS: (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c) The information is being collected from the Government of Punjab and will be laid on the Table of the House.

Use of Light Water Reactors

1815. SHRI SATISH AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that use of light water reactors is prone to accidents;

(b) if so, whether Tarapur Atomic Power Station is a light water reactor;

(c) whether Government propose to have light water reactors only; and

(d) whether we have heavy water reactors also, if so, their number?

THE PRIME MINISTER (SHRI-MATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) The Tarapur Atomic Power Station consists of two light water reactors.

(c) No, Sir.

(d) One heavy water reactor at the Rajasthan Atomic Power Station is already in commercial operation

and the second reactor is expected to be commissioned during 1980. In addition, two reactors at the Madras Atomic Power Station (Tamil Nadu) and two at the Narora Atomic Power Station (U. P.) are under construction.

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कम्प्यूटरीकृत अंकन प्रणाली आरम्भ करना

1816. श्री छीत्पाई साहित्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कम्प्यूटरीकृत अंकन प्रणाली आरम्भ किए जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ज्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) : लोक सेवा आयोग द्वारा कम्प्यूटरीकृत अंकन प्रणाली को विशेष रूप से वस्तुपरक उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में लाभदायक पाया गया है। आयोग के पास दो ओप्टिकल स्कॉरिंग मशीन पहले ही हैं जिनका प्रयोग अपेक्षाकृत लघु भर्तीपरीक्षणों के लिए किया जा रहा है उनके अलावा दो नए ओप्टिकल मार्क रीडर्स (इलक्ट्रॉनिक स्केनर्स) को आयात करने का विचार है। यदि वे प्राप्त हो जाते हैं तथा उन्हें समय पर लगा दिया जाता है तो उनका उपयोग सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1980 और बाद में आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी किया जाएगा।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में छद्मचार

1817. श्री कृष्णचन्द्र पांडेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन काबुल में धनराशि के दुर्विनियोग के कोई

मामले ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा सरकार के नोटिस में लाए गये हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) क्या छष्टाचार के इन आरोपों की जांच पड़ताल करवाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो सी० एण्ड ओ० ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रशासन को सुधारने के लिये कब तक कार्यवाही की जावेगी

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (ग) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन कर्मचारी संघ, कानपुर ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि० को कुछ प्रबंधकीय एवं वित्तीय समस्याओं का उल्लेख किया गया है और कुप्रबंध, कार्यकुशलता का अभाव तथा कदाचारों के आरोप लगाए गए हैं। ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक पंजीयित लिमिटेड कंपनी है और उसके कार्यों पर केन्द्र सरकार का सीधा कोई भी नियंत्रण नहीं है। फिर भी, इस कंपनी की शेयरधारिता में केन्द्र सरकार तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं का काफी हिस्सा है। इसका प्रबंध संस्था को अन्तर्नियमावली एक कंपनी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गठित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। निदेशक मंडल से उपर्युक्त शेयरधारिता का पता चलता है। निदेशक मंडल तथा शेयरधारियों द्वारा कारपोरेशन के प्रशासन को सुप्रवाही बनाने के लिये अग्र्युपाय किये जाने हैं।

मिल में बने कपड़े पर छूट

1818. श्री कृष्णचन्द्र पांडेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता लोक दल के शासन में हथकरघा तथा विद्युत चालित

कपड़ों में बनने वाले कपड़ों पर दी जाने वाली छूट की तुलना में मिल में बनने वाले कपड़े पर अधिक छूट दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप इन उद्योगों को कठिनाइयां हो रही है।

(ख) यदि हां, तो कुटीर उद्योगों को सुविधाएं देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (ग) मिल निर्मित कपड़े पर छूट देने की कोई योजना नहीं है, जबकि हथकरघा कपड़े पर समय-समय पर छूट दी जाती है। नियंत्रित कपड़ा योजना के अन्तर्गत मिल निर्मित कपड़े के मामले में नियंत्रित कपड़े का वितरण करने के लिये उत्तरदायी नेशनल को-ऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन को सरकार द्वारा उत्पादन लागत तथा उपभोक्ता मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति की जाती है क्योंकि नियंत्रित कपड़ा उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचा जाता है। हथकरघा क्षेत्र के अन्तर्गत जनता साड़ी और धोती की समानान्तर योजना के लिए भी इसी प्रकार की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिपूर्ति की सीमा-अलग-अलग वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न है। किन्तु, हथकरघा राजसहायता 1 25 रु० प्रतिवर्ग मीटर की दर पर ही निर्धारित है। मिल निर्मित कपड़े के उपभोक्ता मूल्य में 1974 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हथकरघा कपड़े के उपभोक्ता मूल्य में फरवरी, 1977 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

REINSTATEMENT OF CRP & CISF JAWANS DISMISSED in 1979.

1819. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of CRP and CISF Jawans who were dismissed from